

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक :- निस/वि.स./2017/72

दिनांक :-5/9/2017

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत DGS&D द्वारा Launch किये गये Government e-marketplace (GEM) Portal के उपयोग बाबत वित्त (एस.पी.एफ. सी.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के संयुक्त शासन सचिव वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-एफ.1(8)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 01.05.2017 के बिन्दु संख्या-13 के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल में राज्य सरकार के GeM Portal पर इन दायित्वों के निर्वहन के लिए Primary User के रूप में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृत किया जाता है। शेष उपयोगकर्ता अधिकारीगण यथा Buyers, DDOs, Consignees and PAOs की भूमिका हेतु आवश्यकतानुसार सचिव अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों को नामित करेंगे।

सचिव GeM Portal पर राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से Primary User के रूप में पंजीकरण करवाकर आगामी समस्त कार्यवाही सम्पादित करेंगे।



(के.बी.गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा.आ.मं., जयपुर।
3. निदेशक विधि, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, उप सचिव, राज.आवा.मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, समस्त वृत्त कार्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल।
6. आवासीय अभियन्ता-समस्त खण्ड कार्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल।
7. उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल.....
9. लेखाधिकारी-भुगतान, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी, भण्डार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।



o/c computer for uploading an email.


(आरुनी बागोटिया)
वित्तीय सलाहकार